

## हरति हाइड्रोजन परियोजनाएँ और SEZs

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

भारत सरकार वर्तमान नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है जो **वर्षिक आर्थिक क्षेत्रों (SEZs)** के भीतर हरति हाइड्रोजन के उत्पादन पर केंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

### प्रमुख प्रस्तावित संशोधन क्या हैं?

- हरति हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिये SEZ का वसतिार: वाणज्य मंत्रालय विशेष रूप से हरति हाइड्रोजन पहल को पूरा करने वाले कई गैर-सन्निहित क्षेत्रों में SEZ को अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
  - वर्तमान में SEZ को 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के सन्निहित भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। वाणज्य मंत्रालय हरति हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिये इस मानदंड में छूट देने के लिये तैयार है।
  - बहु-स्थानीय SEZ की अनुमति देने से डेवलपर्स पवन ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे जिसके लिये टर्बाइनों को एक दूसरे से काफी दूरी (250 से 400 मीटर) पर रखा जाता है।
- वित्तीय लाभ के लिये पात्रता: प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य SEZ के भीतर कैप्टिव खपत के लिये उपयोग किये जाने वाले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को वित्तीय लाभ देना है।
  - वर्तमान में SEZ नियम केवल SEZ इकाइयों के रूप में स्थापित तथा SEZ के बाहर वदियुत वपिणन के लिये स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिये वित्तीय लाभ की अनुमति देते हैं।
  - हालाँकि कैप्टिव उपभोग के लिये उपयोग किये जाने पर नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लाभ के लिये अयोग्य हो जाते हैं।
- यदि ये परिवर्तन स्वीकृत हो जाते हैं, तो नरियात-उन्मुख हरति हाइड्रोजन उद्यमों को हरति हाइड्रोजन उत्पादन के लिये समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन के लिये कर छूट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।



# राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission-NGHM)

## नोडल मंत्रालय

- ▶ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

## NGHM के घटक

- ▶ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिये रणनीतिक क्रियाकलाप (SIGHT)
- ▶ रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी (SHIP) (अनुसंधान एवं विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी)

GH2 वर्तमान में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है; भारत में वर्तमान लागत लगभग 350-400/किया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का लक्ष्य इसे 100/किया के नीचे लाना है।

## उद्देश्य


- ▶ ऊर्जा/उद्योग/मोबिलिटी क्षेत्र को डीकार्बोनाइज (कार्बन मुक्त) करना
- ▶ स्वदेशी निर्माण क्षमता विकसित करना
- ▶ GH2 और इसके व्युत्पन्नों के लिये निर्यात के अवसर सृजित करना

### वर्ष 2030 तक अपेक्षित परिणाम

- ◆ प्रति वर्ष कम-से-कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) हरित हाइड्रोजन (GH2) का उत्पादन
- ◆ जीवाश्म ईंधन के आयात में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत
- ◆ छह लाख से अधिक रोजगार
- ◆ वार्षिक CO2 उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी
- ◆ ₹ 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश

## हाइड्रोजन तथा हरित हाइड्रोजन

- ◆ हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है लेकिन यह अन्य तत्वों के साथ संयोजन में ही मौजूद होता है। इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों (जैसे जल) से अलग किया जाता है।
- ◆ अक्षय/नवीकरणीय ऊर्जा (RE) द्वारा संचालित विद्युत अपघटनी/इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस/विद्युत अपघटन नामक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से जल के विभाजन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) बनाया जाता है।



**नोट: कैप्टिवि उपभोग (Captive Consumption) का तात्पर्य उत्पादक इकाई के परिसर के भीतर अथवा नरिदष्टि क्षेत्र के भीतर बाह्य बाजारों में स्थानांतरण अथवा वपिणन के बिना वस्तुओं अथवा सेवाओं के उपयोग से है।**

## वशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है?

- **वशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें आर्थिक कानून मौजूद हैं जो देश के घरेलू आर्थिक कानूनों की तुलना में अधिक उदार हैं।**
  - श्रेणी 'SEZ' में अधिक वशिष्ट प्रकारों की एक वसितुत शृंखला शामिल है, जनिमें नमिनलखिति क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमति नहीं है:
    - मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ)
    - [नरियात प्रसंसकरण क्षेत्र \(EPZ\)](#)
    - मुक्त क्षेत्र (FZ)
    - औद्योगिक संपदा (IE)
  - भारत एशिया में नरियात को बढ़ावा देने में नरियात प्रसंसकरण क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाले पहले देशों में से एक था, **एशिया का पहला EPZ वर्ष 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापति** किया गया था।
- **भारत में SEZ:** वदिशी नविश बढ़ाने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और **बुनियादी सुवधियों के विकास** के साथ-साथ नरियात के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतसिपर्द्धी व नरिबाध वातावरण प्रदान करने के लिये अप्रैल 2000 में भारत में **वशेष आर्थिक क्षेत्र नीति** की घोषणा की गई थी।
  - भारत के सभी कानून SEZ के अंतरगत लागू होते हैं जब तक कि **SEZ अधिनियम/नियमों के अनुसार वशेष रूप से छूट न दी गई हो।**
    - प्रत्येक ज़ोन का नेतृत्व एक विकास आयुक्त करता है और इसे **SEZ अधिनियम, 2005** और **SEZ नियम, 2006** के अनुसार प्रशासति किया जाता है।
    - SEZ में वनिरिमाण, व्यापार या सेवा गतविधि के लिये इकाइयाँ स्थापति की जा सकती हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न. हरति हाइड्रोजन के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2023)**

1. इसे आंतरकि दहन के लिये ईधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है।
2. इसे प्राकृतिक गैस के साथ मलिाकर ताप या शक्ति जिनन के लिये ईधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. इस वाहन चालन के लिये हाइड्रोजन ईधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कतिने सही हैं?**

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

**उत्तर: (c)**